

न्यायालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।  
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं०-51/2026

सुनीता देवी वगैरह बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या-901/2025

अधीन धारा-126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(2), 351(3), 118(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

02-04-2026

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया है कि आवेदकगण सुनीता देवी पति-विजय राय, विजय राय पेसर-स्व० विशुनी राय, रागनी कुमारी पेसर-विजय राय एवं रोहित कुमार पेसर-विजय राय के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं०-51/2026 वापस लिये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
वैशाली, हाजीपुर।

आदेश पर नियत की तिथि	02.04.2026
आदेश की तिथि	02.04.2026
अपलोड करने की तिथि	04.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक